

**राज्य प्रदेश शासन**  
**सचिवालय प्रशासन कम्प्यूटरीकरण, एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ**  
**संख्या - २८७ / बीस-क.प्र-२००९-३१(क.प्र) / २००७**  
**लखनऊ, दिनांक : १२ फरवरी, २००९**

**कार्यालय-ज्ञाप**

**विषय—** शासन स्तर पर तैनात दरिष्ठ अधिकारियों को लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर तैनात विभिन्न आधिकारियों द्वारा लैपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-१८७ / बीस-२००८-३१(क.प्र) / २००७ दिनांक २३ मई, २००८ हारा निर्धारित नीति को अतिक्रमित कर, श्री राज्यपाल महोदय सचिवालय प्रशासन विभाग में लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय एवं अनुरक्षण के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों को तात्कालिक प्रभाव से विकेन्द्रित करते हुए उत्तर प्रदेश सचिवालय के समूत्तर विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव जैसी भी स्थिति हो, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिक्रियों के अधीन प्रतिनिधानित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं—

- 1— मुख्य सचिव, मन्त्रि—मण्डलीय सचिव, अतिरिक्त मन्त्रि—मण्डलीय सचिव, छवि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त, समस्त प्रमुख सचिव, समस्त सचिव एवं प्रमुख स्टाफ अधिकारीगण द्वारा सचिवालय में तैनाती की अवधि हेतु एक—एक लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण अनुमन्य होगा। सामान्यतया लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण संग्रह जैसे स्तर के अधिकारी को अनुमन्य नहीं होगा परन्तु अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थिति में मात्र नुख्यनक्ती जी सं सञ्चालन विशेष सचिव, मुख्य सचिव एवं मन्त्रि—मण्डलीय सचिव के स्टाफ आफीसर्स तथा गोपन अनुभाग—१ सं संबंधित विशेष सचिव स्तर हेतु भी इह सुविधा मुख्य सचिव के आदेश से उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- 2— लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण करने हेतु अधिकतम विलोप सीमा रु० १.२५ लाख प्रति लैपटॉप कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण होगी। कर एवं संस्थागत व्यय/सेन्टर चार्ज अतिरेकत रूप से देय होगा। उक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत लैपटॉप कम्प्यूटर का क्रय किया जाना अनिवार्य होगा। प्रिन्टर, स्कैनर तथा डिजिटल स्ट्रिल कैमरा या दीडिजो कैमरा भी क्रय किया जा सकता है, किन्तु गह अनिवार्य नहीं होगा।
- 3— सचिवालय प्रशासन विभाग के बजट भेल अनुभाग हारा प्रदेश विभाग को उनके प्रमुख सचिव/सचिव की संख्या के अनुसार रु० १.४५ लाख प्रति अधिकारी के आधार पर अनदान संख्या-७८ के संसंगत लेखाशीर्षक से बजट आवंटित किया जाएगा।

- 4- प्रमुख सचिव/ सचिव आवश्यकता के अनुसार लैपटोप कम्प्यूटर / सहवर्ती उपकरण का कारबंड करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी अनुभाग को नोडल अनुभाग नामित करें। नोडल अनुभाग लैपटोप कम्प्यूटर/ सहवर्ती उपकरण के कारबंड के एवं अनुस्थान हेतु उत्तरदायी होया।
- 5- प्रत्येक विभाग हारा अपने प्रमुख सचिव/ सचिव के लिए लैपटोप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का नियमानुसार कारबंड करने यू०प०इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिंग, लखनऊ के प्रध्यम से किया जाएगा।
- 6- प्रत्येक विभाग हारा अपने प्रमुख सचिव/ सचिव वं लिए संलग्नक में निर्धारित न्यूनतम तकनीकी विशिष्टियों या इससे पहचान तकनीकी विशिष्टियों के लैपटोप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण का कारबंड निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों से निम्न स्तर के लैपटोप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण किसी भी दरमा ने कारबंड नहीं किये जाएंगे। लैपटोप कम्प्यूटर/ सहवर्ती उपकरणों की तकनीकी विशिष्टियों के शास्त्र फोर्म, गेड का ब्रथन विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव हारा किया जायेगा।
- 7- लैपटोप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के कारबंड आदेश संबंधित विभाग हारा अपने स्तर से सीधे यूप०इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिंग, लखनऊ को दिये जायेंगे।
- 8- लैपटोप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति के पश्चात उपरोक्त नोडल अनुभाग अपनी खाली बुक में उपकरणों से संबंधित प्रविष्टियों वर्णित करेगा।
- 9- संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव हारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि उनके द्वारा कारबंड किये गये लैपटोप कम्प्यूटर/ सहवर्ती उपकरण निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों के हैं तथा उनके हारा लैपटोप कम्प्यूटर/ सहवर्ती उपकरण प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरांत ही संबंधित विभाग हारा यूप०इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिंग, लखनऊ को अपने लैपटोप कोर्ट को माझमन से नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी तथा अवशेष धनराशि संविधानात्य प्रशान्ति विभाग के कोष कोषक में जमा की जायेगी।
- 10- सम्बन्धित विभाग में शाखा के आहरण वितरण अधिकारी, हारा इस धनराशि का लेखा-जोखा अपने स्तर पर एव्वा जारी करना तथा अधा-अधा व्यव्यवहारण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उसके साथ उपग्रस्तर-०५ में दर्जीत प्रमाण-पत्र की एक प्रति संविधानात्य उदासन विभाग को उपरान्त रखायी जायेगी।
- 11- यूप०इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिंग, लखनऊ हारा अधिकारी का नाम/ प्रदनाम, कारबंड किये गये लैपटोप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों पर विवरण, प्रयुक्ति अनुराशि संडित, संविधानात्य प्रशान्ति विभाग की उपलब्ध करायी जायेगी।
- 12- लैपटोप कम्प्यूटर/ सहवर्ती उपकरण की सम्बन्धित विभाग हारा अधिकारी के नाम से

आवृद्धि किया जाएगा तथा इसकी मुख्या की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। लैपटॉप कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण की अधिकारी के पास इहते हुए चारों/क्षति होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

- 13— यारन्टी अवधि में लैपटॉप कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण का अनुरक्षण संबंधित विभाग द्वारा यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिए, लैकलज से सीधे कराया जायेगा। यारन्टी अवधि के उपरान्त लैपटॉप कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों का अनुरक्षण सम्बन्धित विभाग हारा किया जाएगा।
- 14— लैपटॉप कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों के प्रयोगार्थ कन्फ्युमेबुल्स सचिवालय प्रशासन विभाग के एटेशनरी अनुमान द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- 15— अधिकारियों के सचिवालय से बाहर अपनान्तरण कार्यवाहा सचिवालय में रहते हुए सेवानिवृत्ति की दशा में लैपटॉप कम्प्यूटर को यदि वह बाहे तो नियालिखित अवैभूतिक मूल्य के आधार पर कर्य किया जा सकेगा।

"The laptop will be depreciated at 70%, per year on written down value i.e. the depreciated price will become 40% of the original price during the first year, 16% during the second year and 6.4% during the third year."

- 16— सचिवालय में एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण की दशा में लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण संबंधित अधिकारी प्रथम विभाग की स्टॉक बुक में प्रविष्ट करवाकर दूसरे विभाग में ले जा सकेंगे और दूसरे विभाग में इसकी स्टॉक बुक में प्रविष्ट अंकित करने की कार्यवाही उपर्युक्त उपस्थित-08 के अनुल्प की जाएगी।
- 17— अधिकारियों के पास यह भी घिन्कल्प होगा कि वह सचिवालय में रहते हुए 05 वर्ष के बाद, यदि वे बाहे, तो उन्हें आवृद्धि लैपटॉप कम्प्यूटर उपयुक्त अवैभूतिक दर के आधार पर कर्य कर सकते हैं और पुनः अपन प्रयोगार्थ निया लैपटॉप नियारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत शासकीय त्वय पर कर्य कर सकते हैं जो सरकारी स्वामित्व में होगा।
- 18— अधिकारियों के सचिवालय से बाहर स्थानान्तरण अपेक्षा सचिवालय में रहते हुए सेवानिवृत्ति की दशा में यदि अधिकारी द्वारा उपयुक्त उपस्थित-15 के अनुसार अवैभूतिक दर पर लैपटॉप कम्प्यूटर का कर्य नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत लैपटॉप कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण सचिवालय प्रशासन विभाग के नं.डाक (प्रथम) में उमा करना अनियार्थ होता। सेवानिवृत्ति के अवधि लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के सम्बन्ध में संबंधित प्रदानकीय विभाग द्वारा सचिवालय प्रशासन विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र सिया जायेगा।

- 2— मुख्य सचिव, मन्त्रि-मण्डलीय सचिव तथा मानविकासी कार्यालय से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए लैपटॉप कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण का कर, उनके उपकरण का ग्रेक/माइक्रो

एवं तकनीकी विशिष्टियों प्राप्त कर सचिवालय प्रशासन विभाग हाजा किया जाएगा।

3. लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्षय पर होने वाले व्यय आय-व्ययक की अनुदान सख्ता-८ के लेखाशीषक “2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ- आयोजनेट्स-०९०- सचिवालय-११-ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर, लैपटॉप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्षय-४०-कम्प्यूटर हार्डोवर/साफ्टवेर का क्षय” के नामे डाला जायेगा।

4. यह उत्तराखण्ड वित्त विभाग के अधारकीय दस्ती सख्ता-ई-५-२३३/दत्त-२००९ दिनांक ११ फरवरी, २००९ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त

ज०एन० बैंबर,  
प्रयुक्त सचिव।

डाक्टर २३७(१) / बोरा-क०प्र०-२००९-३१(क०प्र०) / २००७ तददिनांक

प्रगतिशील नियन्त्रिति को सुवर्णार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. कृषि उत्पादन आयुक्त/ औदोगिक विकास आयुक्त/ समाज कल्याण आयुक्त, उ०प्र०।
२. समस्त प्रायुक्त सचिव/ सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
३. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
४. प्रगुञ्च उत्तराखण्ड अधिकारी, निक्रि- मण्डलीय संघिय, उत्तर प्रदेश शासन।
५. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
६. नहलेखाकार, लेखा एवं हफदारी, प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
७. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
८. मुख्य कागजाकार, आदर्श प्रोफागर, जयाहर नवन, लखनऊ।
९. प्रशन्न निदेशक, गूणी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यालयेन्स लिंि, नवचंतन, कन्द्र, लखनऊ।
१०. समस्त अहरण एवं धितण अधिकारी, संबंधित ताला, उ०प्र० शासन।
११. मुख्य लेखाकार/ मुख्य कौषलयक्षण, सचिवालय प्रशासन कोष कोष्ठक, उ०प्र० शासन।
१२. सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग/ सचिवालय प्रशासन डिपार्टमेंट (प्रिपिय)/ सचिवालय प्रशासन अनुभाग-१०(तेला)।
१३. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-५/ वित्त(लेखा), अनुभाग-१/ वित्त(लेखा) : अनुभाग-२
१४. आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-२
१५. अधीकार, मण्डार प्रभन, उ०प्र० सचिवालय।
१६. विभागीय वेबसाइट <http://eudit.up.nic.in> पर वाइलोड विषय प्राप्ति जाने हेतु सचिवालय प्रशासन अनुभाग-३(अधिक) को
१७. गाइड फाईल।

आज्ञा ३,

(विधायक पाठ्य)

विद्युम सचिव।

५३ ५/-

कार्यालय झाप संख्या-287 / बीस - कोप्र० - २००९-३१(कोप्र०) / २००७/दिनांक - १२ फरवरी,  
२००९ का सलगनक:-

<b>S.No.</b>	<b>Product</b>	<b>Minimum Technical Specification</b>
1	Laptop Computer	Processor Intel Centrino Core 2 Duo Processor SL 9400 Low Voltage/ P9500 Processor/or Higher (1.86GHz or higher,6MB L2 Cache, 1066MHz FSB) or Equivalent Processors like Ultra Low Voltage SU9400(1.4Ghz,3 MB L2 Cache,800Mhz FSB)
		<b>Chipset</b> Intel GS45/GM45 or equivalent Express Chipset
		<b>RAM</b> 3 GB DDR II RAM 800 Mhz FSB or Higher expandable upto 4 GB
		<b>Hard Disk Drive</b> 120 GB or higher (Serial ATA), 5400 RPM with 3D Protection, shock/vibration absorbers
		<b>DVD Drive</b> 8X DVD SuperMulti Double Layer Drive
		<b>Display</b> 13.3" or less WAGA TFT LCD
		<b>Graphic Card</b> Intel® Graphics Media Accelerator X3100, up to 358MB of shared memory
		<b>Wi-Fi</b> Internal 802.11 a/b/g Intel WiFi card, Blue tooth
		<b>Ports</b> 2 USB, RGB, Express Card Slot, SD Card Reader, 1.3 Mega Pixel or Higher Web Camera, Integrated Mic, Finger Print Reader
		<b>Weight</b> 1.5 Kg or less
		<b>OS</b> Genuine Windows® Vista™ Business or Equivalent OS and Pre-loaded Antivirus software with 3 years upgrades.
		<b>Warranty</b> 3 Yrs onsite comprehensive warranty
2	Printer	Mono Laser Printer with 23 PPM(A4) or higher Monochrome laser printer, 600x600 dpi or more, Processor 150 Mhz or Higher, 2MB or higher Memory, Hi-Speed USB 2.0 compatible, All cables, accessories & Driver Software.
3	Scanner	HP Scan Jet G4010 or equivalent - Flatbed, 4800x9600 DPI, Scan Size 21.6x31.1 with interface cables & driver software.
4	Digital Camera	Make- Sony/ Kodak/ Canon 10.0 Mega Pixel 4x Optical Zoom with all data cables, USB Support, OEM Carry Bag and 4 GB Memory Card.
5	Video Camera	Hybrid Digital Video Cameras with DVD Zoom: 40x/25x Optical(2000xDigital)or less Pixels:800K/1MP or more(Photo Mode) LCD Screen & Type:2.7(6.9cm) wide LCD with touch panel Audio Format: Dolby Digital(Optional) Memory stick slot supporting 1GB or more, Supporting USB 2.0 high speed Night shot plus technology

विद्यालय पाठ्यकाल  
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

**विषय:-** शासन स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति में आंशिक संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-287 / बीस-क.प्र.0-2009-31(क.प्र.0) / 2007 दिनांक 12 फरवरी, 2009 द्वारा शासन रत्नर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गयी है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12 फरवरी, 2009 पर सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाग से एतद्वारा निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है :-

- (1) नीचे स्तम्भ-1 में उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप के वर्तमान प्रस्तर-1(2) के उल्लिखित अंश को उसके समुख स्तम्भ-2 में उल्लिखित अंश से संशोधित समझा जाएगा :-

**स्तम्भ-1**  
**प्रस्तर-1(2) का वर्तमान अंश**  
“लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण कथ करने हेतु अधिकतम् वित्तीय सीमा रु0.125 लाख प्रति लैपटॉप कम्प्यूटर/ सहवर्ती उपकरण होगी। कर एवं संस्थागत व्यय/ सेन्टरेज चार्जिं अतिरिक्त रूप से देय होगा।”

**स्तम्भ-2**  
**प्रस्तर-1(2) का संशोधित अंश**  
“प्रति लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण कथ करने हेतु अधिकतम् वित्तीय सीमा समस्त कर एवं संस्थागत व्यय सहित रु0.145 लाख होगी।”

- (2) सन्दर्भित कार्यालय-ज्ञाप सं-287 / बीस-क.प्र.0-2009-31(क.प्र.0) / 2007, दिनांक 12 फरवरी, 2009 के प्रस्तर-1(6) के संलग्नक में निर्धारित कर रखी गयी लैपटॉप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की न्यूनतम् तकनीकी विशिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित न्यूनतम् तकनीकी विशिष्टियों निर्धारित समझी जायें :-

S.N	Product	Minimum Technical Specification	
1	Laptop Computer	<i>Processor</i>	Intel Centrino Core 2 Duo Processor
		<i>RAM</i>	1GB DDR II RAM 800 Mhz. FSB or Higher Expendable upto 4 GB
		<i>Hard Disk Drive</i>	160 GB or higher (Serial ATA)
		<i>DVD Drive</i>	8X or More DVD Super Multi Double Layer Writer or higher model
		<i>Display</i>	WXGA TFT LCD
		<i>Graphic Card</i>	Intel® Graphics Media Accelerator
		<i>Ports</i>	2 USB, RGB, Express Card Slot, SD Card Reader etc.
		<i>OS</i>	Windows® Vista®, Macintosh or Equivalent OS with Pre-loaded Antivirus software with 3 years upgrades.
		<i>Warranty</i>	Minimum 1 Year onsite comprehensive warranty
		<i>Battery Backup</i>	Minimum 1 hrs of battery back-up

		<i>Additional Items when required.</i>	OLM Carry Bag, Pen drive, Bluetooth Mouse, i pod
2	Printer	Inkjet printer or Laser Printer with 23 PPM(A4) or higher laser printer, 600x600 dpi or more, Processor 150 Mhz or Higher, 2MB or higher Memory, Hi-Speed USB 2.0 compatible, All cables, accessories & Driver Software.	
3	Scanner	HP Scan Jet G4010 or equivalent brand - Flatbed, 4800x9600 DPI, Scan Size 21.6x31.1 with interface cables & driver software.	
4	Digital Camera	5.0 Mega Pixel, 4x Optical Zoom with all data cables, USB Support, OLM Carry Bag.	
5	Video Camera	Hybrid Digital Video Camera, Zoom: 40x/25x Optical(2000x)Digital)or less Pixel:800K/1MB or more(Photo Mode) LCD Screen & Type:2.7(6.9cm) wide LCD with touch panel Audio Format: Dolby Digital(Optional) Memory stick slot supporting 1GB or more, Supporting USB 2.0 high speed Night shot plus technology	

2. सन्दर्भित कार्यालय-ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-415/दस-2009, दिनांक: 01 अप्रैल, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

जोएनो चैम्बर,

प्रमुख सचिव।

संख्या- 492(1)/बीस-क0प्र०-2009-31(क0प्र०)/2007 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- कृषि उत्पादन आयुक्त / औद्योगिक विकास आयुक्त/ "सभाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र०"
  - समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, मा० गुरुद्वारा, उत्तर प्रदेश शासन।
  - संस्कृत प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - प्रमुख स्टाफ अधिकारी, भवित्व- मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उ0प्र० इलाहाबाद।
  - महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र० इलाहाबाद।
  - मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
  - प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि०, नवचेतना केन्द्र, लखनऊ।
  - रामस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, संबंधित शाखा, उ0प्र० शासन।
  - मुख्य लेखाकार/ मुख्य कोषाध्यक्ष, सचिवालय प्रशासन कोष कोष्ठक, उ0प्र० शासन।
  - सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग / सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7 (विविध)
  - सचिवालय प्रशासन अनुभाग-10(लेखा)।
  - वित्त (व्याप-नियन्त्रण) अनुभाग-5/ वित्त(लेखा) अनुभाग-1/ वित्त(लेखा) अनुभाग-2 वित्त(लेखा) अनुभाग-3
  - आईटी० एवं इलेक्ट्रोनिक्स अनुभाग-2
  - अधीकार, भण्डार प्रथम, उ0प्र० सचिवालय।
  - विभागीय वेबसाइट <http://sad.up.nic.in> पर अगलोड किए जाने हेतु सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधिकारी) को।
  - गाँठ फाईल।

आज्ञा रे,  
नवमी  
(अजय सिंह)  
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
संकाय : ब्रशासन कम्प्यूटरीकरण एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ  
संख्या—G.O./बीस-क.प्र.-2011-31(क.प्र.)/07  
तार्खनक : दिनांक : १५ अप्रैल, 2011

### कार्यालय-ज्ञाप

विषय : शासन स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को लैपटाप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति में आंशिक संशोधन।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या—287 / बीस-क.प्र.—2009-31(क.प्र.)/07, दिनांक 12 फरवरी, 2009 द्वारा शासन स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को लैपटाप कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्धारित नीति में सम्यक विचारोपरान्त ऐतद्वारा निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है :-

➤ नीचे स्तम्भ-1 में उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप के वर्तमान प्रस्तार-1(15) के उल्लिखित अंश को उसके समुख स्तम्भ-2 में उल्लिखित अंश से संशोधित समझा जाएगा :-

स्तम्भ-1 प्रस्तार-1(15) का वर्तमान अंश	स्तम्भ-2 प्रस्तार-1(15) का संशोधित अंश
<p>आधिकारियों के द्वारा लैपटाप कम्प्यूटर से बाहर स्थानान्तरण अथवा संचालन में रहते हुए सेवानिवृत्ति की दशा में लैपटाप कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरण को यदि वह चाहे तो निम्नलिखित अवमूल्यन के आधार पर क्रय किया जा सकेगा:-</p> <p>“The laptop will be depreciated @ 60% per year on written down value i.e. the depreciated price will become 40% of the original price during the first year, 16% during the second year and 6.4% during the third year.”</p> <p>उक्त व्यवस्था के अनुसार अवमूल्यन की गणना के लिए एक वर्ष हेतु निर्धारित अवमूल्यन के ५५% के १२ माह में विभाजित करते हुए माहवार समानुपातिक अवमूल्यन की धनराशि निर्धारित की जाएगी। अवमूल्यन की गणना हेतु क्रय तिथि से न्यूनतम अवधि कम से कम एक माह अवश्य होगी और क्रय तिथि से पूर्ण व्यतीत हो दुके माहों की ही गणना की जाएगी तथा अतिरिक्त दिनों की गणना मान्य नहीं होगी।</p> <p><u>उदाहरण:</u> किसी अधिकारी को यदि किसी माह की 10 तारीख को लैपटाप/सहवर्ती उपकरण क्रय कर द्राप कराया जाता है तो अगले माह की 10 तारीख को ही एक माह के अवमूल्यन का लाभ अनुकूल्य होगा।</p>	<p>आधिकारियों के संचिवालय से बाहर स्थानान्तरण अथवा संचालन में रहते हुए सेवानिवृत्ति की दशा में लैपटाप कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरण को यदि वह चाहे तो निम्नलिखित अवमूल्यन के आधार पर क्रय किया जा सकेगा:-</p> <p>“The laptop will be depreciated @ 60% per year on written down value i.e. the depreciated price will become 40% of the original price during the first year, 16% during the second year and 6.4% during the third year.”</p> <p>उक्त व्यवस्था के अनुसार अवमूल्यन की गणना के लिए एक वर्ष हेतु निर्धारित अवमूल्यन के ५५% के १२ माह में विभाजित करते हुए माहवार समानुपातिक अवमूल्यन की धनराशि निर्धारित की जाएगी। अवमूल्यन की गणना हेतु क्रय तिथि से न्यूनतम अवधि कम से कम एक माह अवश्य होगी और क्रय तिथि से पूर्ण व्यतीत हो दुके माहों की ही गणना की जाएगी तथा अतिरिक्त दिनों की गणना मान्य नहीं होगी।</p> <p><u>उदाहरण:</u> किसी अधिकारी को यदि किसी माह की 10 तारीख को लैपटाप/सहवर्ती उपकरण क्रय कर द्राप कराया जाता है तो अगले माह की 10 तारीख को ही एक माह के अवमूल्यन का लाभ अनुकूल्य होगा।</p>

2. संदर्भित कार्यालय—ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या—ई—5—526/दस—2011, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

विजय शंकर पाण्डेय  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या—८५८ /बीस—क.प्र.—२०११—३१(क.प्र.)/०७, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/औद्योगिक विकास आयुक्त/समाज कल्याण आयुक्त, उ.प्र।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, अप्रि—भण्डलीय साम्रेव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. महालेखा, लेखा एवं ज्ञान, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. मुख्य कोषाधिकारी, अप्रि—कोषाधार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू. पी. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि., नवचेतना केन्द्र, लखनऊ।
10. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, सम्बन्धित शाखा, उ. प्र. शासन।
11. मुख्य लेखाकार/मुख्य कोषाध्यक्ष, सचिवालय प्रशासन कोष कोष्ठक, उ. प्र. शासन।
12. सचिवालय प्रशासन (ब्रिट सेल) अनुभाग/सचिवालय प्रशासन अनुभाग—७(विविध)/सचिवालय प्रशासन अनुभाग—१०(लेखा)।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—५/वित्त (लेखा) अनुभाग—१/वित्त (लेखा) अनुभाग—२।
14. आई.टी. एवं इलेक्ट्रोनिक्स अनुभाग—२।
15. अधीक्षक, भण्डार प्रथम, उ. प्र. सचिवालय।
16. विभागीय वेबसाइट <http://sad.up.nic.in> पर अपलोड किए जाने हेतु सचिवालय प्रशासन अनुभाग—३(अपि.) को।
17. मार्ड फाइल।

आज्ञा से,

द्वि—५०८८  
(द्वन्द्य कुमार)  
उप सचिव।

724  
04.1.12

उत्तर प्रदेश शासन  
संविधानसभा प्रशासन कम्बिटर करण एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ  
संख्या-2494 / वीड-क.प्र-2011-3(लैपटाप) / 09  
संधानकार्यक्रम : दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

## कार्यालय-ज्ञाप

मिथ्या शासन स्तर पर तेजात वरिष्ठ अधिकारियों वो लैपटाप कम्बिटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति में आंशिक भागीदार।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-287 / वीड-क.प्र-2009-31(क.प्र.) / 07, दिनांक 12 फरवरी, 2009  
एशियान अधिकारित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-492 / वीड-क.प्र-2009-31(क.प्र.) / 07, दिनांक 02 अप्रैल, 2009  
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1831 / वीड-क.प्र-2009-3(क.प्र.) / 07-टी.सी., दिनांक 07 सितम्बर, 2009  
कार्यालय-ज्ञाप संख्या-653 / वीड-क.प्र-2011-31(क.प्र.) / 07, दिनांक 03 अप्रैल, 2011) हारा शासन रुक्ष पर दैनन्दिन वरिष्ठ अधिकारियों को लैपटाप कम्बिटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जाने के बारे में निर्धारित नीति में आंशिक विवारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से एतदद्वारा निम्नवत् आंशिक संशोधन जाता है।

मीठे स्तरम्-2 में उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12 फरवरी, 2009 के उत्तिलिखित प्रस्तुति के वर्तमान अंश को उसके सम्मुख स्तरम्-3 में उत्तिलिखित अंश/से संशोधित समझा जाएगा।-

क्र.	वर्तमान अंश	संशोधित अंश
1	2	3
1.	प्रस्तर-1(4)-प्रमुख लाधिकारी/सचिव आधारकाता के अनुसार लैपटाप कम्बिटर/सहवर्ती उपकरण क्रय करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी अनुमान लो नोडल अनुमान नामित करें। नोडल अनुमान लैपटाप कम्बिटर/सहवर्ती उपकरण के क्रय एवं उत्तरदायी होगा और अवमूल्यन दर पर अधिकारी हेतु उत्तरदायी होगा।	प्रमुख लाधिकारी/सचिव हेतु लैपटाप कम्बिटर/सहवर्ती उपकरणों का क्रय/आदान प्रदान अधिकारान अनुमान द्वारा किया जाएगा। अधिकारान अनुमान लैपटाप कम्बिटर/सहवर्ती उपकरण के क्रय, आदान प्रदान एवं अनुक्रम उत्तरदायी होगा और अवमूल्यन दर पर अधिकारी हेतु लैपटाप/सहवर्ती उपकरण क्रय किये जाने की दशा में अवमूल्यन मूल्य का निर्धारण व उसमें विकल्प का दावा च सम्बन्धित शाखा अधिकारान अनुमान का होगा।
2.	प्रस्तर-1(8)-लैपटाप कम्बिटर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति के पश्चात उपग्रेड नोडल अनुमान अपनी स्टाक बुक में उपकरणों से उत्तमान्वित प्रतिष्ठित अंकित करें।	लैपटाप का उत्तर एवं सहवर्ती उपकरणों की आपूर्ति के पश्चात शाखा अधिकारान अनुमान अपनी स्टाक बुक में उपकरणों से सम्बन्धित प्रतिष्ठित अंकित करें।
3.	प्रस्तर-1(18)-अधिकारियों के संचिलन से बाहर स्थानान्तरण अथवा संचिलन में रहते हुए संयोनिति की दशा में यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त उपप्रस्तर-15 के अनुसार अवमूल्यन दर पर लैपटाप कम्बिटर का क्रय नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत लैपटाप कम्बिटर/सहवर्ती उपकरण लैपटाप कम्बिटर/सहवर्ती उपकरण सम्बन्धित शाखा अधिकारान अनुमान में जमा करना संचिलन प्रश्नान्तरण विभाग के भण्डार (प्रधान) में जमा करना आवश्यक होगा।	अधिकारियों के संचिलन से बाहर स्थानान्तरण अथवा संचिलन में रहते हुए सेवानिष्ठता की दशा में यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त उपप्रस्तर-15 के अनुसार अवमूल्यन दर पर लैपटाप कम्बिटर का क्रय नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिकारी द्वारा प्रश्नगत लैपटाप कम्बिटर/सहवर्ती उपकरण सम्बन्धित शाखा अधिकारान अनुमान में जमा करना आवश्यक होगा।

2. अनुमान अधिकारी के अनुसार शास्त्रों अधिष्ठान अनुभाग में वरिट अधिकारी से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश शास्त्रों अनुभाग में संशोधित अधिकारीय कार्यों में उनसे निम्न लिए गए अधिकारीयों वह कल्पनालयी द्वारा दिया जाता है। तथा सम्बन्धित शास्त्रों में अधिकारीय/कल्पनालयी के स्थानान्तरण अधिकारी अवधारणा की दिलामें इन्हें वापस शास्त्रों अधिष्ठान में जाना कराया जाएगा।

3. अनुमान अधिकारी के स्थानान्तरण दिनांक 12 फरवरी, 2009 इस सम्भावित समयों जाएगा। अन्य शर्तें एवं प्रतिवर्ण यथादत लागू रहेंगी।

4. यह आदेश निति विभाग के अधासकीय पंजी संख्या-ई-5-1267 / दस-2011, दिनांक 16 दिसंबर, 2011 में प्राप्त दिनांक राजभूति से जारी किये जा रहे हैं।

अवनीश केशव अदस्ती,

सचिव।

प्रष्टाकरण संख्या-249(1)/बीएन-फ्रू-2011-3(लैपटाप) / 09, तददिनांक

प्रतीलिपि निर्वालिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हतु देखा।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/ औद्योगिक विकास आयुक्त/ नगरानि कल्याण आयुक्त उप्र।

2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख सचिव, सचिव, श्री राज्यपाल, राज्यपाल लखनऊ।

5. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मान्डी-मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

7. महालेखाकार, लेखा एवं हक्कदारी प्रधान, उत्तर प्रदेश, हलाहल।

8. महालेखाकार, लेखा प्रधान, प्रधान, उत्तर प्रदेश, इलाजियाद।

9. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषाधार, जयाहर भद्रन लखनऊ।

10. प्रमुख निदेशक, सू. ची इलेक्ट्रोनिक्स कारबारेशन लि., नवदेहतना कन्नू, लखनऊ।

11. समस्त शास्त्रों अधिष्ठान अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

12. समस्त आहरण एवं वित्त विभाग अधिकारी, साम्यविकास शास्त्र, उ. प्र. शासन।

13. मुख्य लेखाकार/ मुख्य कोषाध्यक्ष, सचिवालय प्रशासन काष कोषक, उ. प्र. शासन।

14. सचिवालय प्रशासन (बजट सेल), अनुभाग/ सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विधिय) / सचिवालय प्रशासन अनुभाग-10(लेखा)।

15. वित्त (व्यवस्था विभाग) अनुभाग-3/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (लेखा) अनुभाग-2.

16. आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स अनुभाग-2.

17. अधिकारक, निष्ठार प्रधान, उ. प्र. सचिवालय।

18. विभागीय वैदेशी इंडिया <http://sad.up.nic.in> पर अपलोड किए जाने हेतु सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3(अधिय) को।

19. गाड़ काइल।

आज्ञा से

अधिकारक सचिव नियांगो

अनु सचिव।